# कार्यालय - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची-2

पत्रांक..............................., दिनांक.................................

प्रेषक,

जे0बी0 जौहर
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची-2

सेवा में,

प्रधान सचिव,

वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 में कार्यान्वित की जाने वाली पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत 3206.58 हे0 में पहाड़ियों को हरा-भरा करने एवं 18 कि.मी. में सड़क के किनारे वृक्षारोपण के अग्रिम कार्य के करने लिए कुल 1312.084 लाख रु0 का प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्ष 2008-09 में वनरोपण अग्रिम कार्य हेतु रू0 756.404 लाख रु0 का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

सूचित करना है कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य मार्गो, राज्य के उच्च मार्गो एवं अन्य मार्गो के किनारे पड़ने वाले पहाड़ियों को हरा-भरा किये जाने एवं सड़क किनारे रैखिक वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

2. पहाड़ियों को हरा भरा करने की योजना भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना के लिए निर्धारित दर पर की जायेगी। इस योजना को 4 वर्षो में पूरा करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष अग्रिम कार्य किये जाते हैं जिसमें पौधशाला में पौधा तैयार करना, वन रोपण क्षेत्र का घेरान कार्य, सर्वे एवं सीमांकन, झाड़ी सफाई, भू-संरक्षण एवं पौधा रोपण हेतु गढ्ढे खोदना, कंटूर ट्रेंच बनाना, भू-संरक्षण के अन्य कार्य, इन्ट्री प्वाइंट एवं विविध कार्य किये जाते हैं। द्वितीय वर्ष में पौधशाला में पौधों की सिंचाई, वनरोपण स्थल पर पौधा रोपण, इन्ट्री प्वाइंट, सामग्री, सुरक्षा पर व्यय ट्रेंचों के वर्म पर बीज की रोपनी, दो कोड़नी निकोनी करना तथा विविध कार्य किये जाते हैं। तीसरे वर्ष में एक कोड़नी निकोनी, उर्वरक, गढ्ढा घेरान की मरम्मति, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाना और सुरक्षा प्रदान करना आदि कार्य किये जाते हैं। चतुर्थ वर्ष में सम्पोषण कार्य के अंतर्गत एक कोड़नी निकोनी एवं सुरक्षा किया जाता हैं। इस प्रकार चार वर्षो की यह पूर्ण योजना है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में 3206.58 हे0 में अग्रिम कार्य किया जायेगा। चार वर्षो की पूर्ण कार्य विवरणी एवं वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का विवरणी अनुलंग्नक 1 क पर द्रष्टव्य है।

3. रैखिक वृक्षारोपण के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्यमार्गो, राज्य के उच्च मार्गो पर वृक्षारोपण एवं शहरी क्षेत्रों के मार्गो पर सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य किया जाता है । इससे वृक्षारोपण क्षेत्रों में धूल एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण सुधार में सहायता मिलती है । इस योजना के अन्तर्गत मुख्यत शीघ्र बढ़ने वाले प्रजाति के पौधे यथा- सीसम,गम्हार, तुन, कदम, अर्जुन, गुलमोहर,

पेलटोफॉर्म इत्यादि प्रजातियों का रोपण किया जाता है । इन पौधों का विकास तेजी से होता है और योजना अवधि तक इन पौधों के उँचाई यथेष्ट हो जाती है ।

4. वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस योजना अन्तर्गत 3206.58 हे0 में पहाड़ियों को हरा-भरा करना एवं 18 कि.मी. सड़क रैखिक वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित है । जिसका पूर्ण विवरणी 1 क एवं ख पर दृष्टव्य हैं ।

5. वर्ष 2008-09 में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी जनजातीय उपयोजना, लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष- 13 पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना के अन्तर्गत 1405.695 लाख रु0 का बजट उपबंध स्वीकृत है । इससे पूर्व इस योजनान्तर्गत चालू कार्यो के लिए 379.4178 लाख रु0 एवं अग्रिम कार्य, सिद्धू-कान्हू पार्क दुमका एवं थीम पार्क जमशेदपुर हेतु 136.922 लाख रु0 का प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित की जा चुकी है। प्रस्तावित शेष उपबन्ध में राशि की इकाईवार विवरणी निम्नवत है-

| क्र. सं. | प्राथमिक इकाईयां | बजट उपबंध | पूर्व में चालू कार्यो के लिए समर्पित योजना की इकाईवार विवरणी | अग्रिम कार्य, सिद्धू-कान्हू पार्क दुमका एवं थीम पार्क के लिए समर्पित योजना की इकाईवार विरणी | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मजदूरी | 1197.797 | 357.1388 | 69.187 | 771.471 |
| 2 | सामग्री एवं पूर्तियाँ | 199.898 | 22.279 | 67.735 | 109.884 |
| 3 | व्यावसायिक सेंवाए | 8.00 | 0 | 0 | 8.00 |
| | कुल :- | **1405.695** | **379.4178** | **136.922** | **889.355** |

(बजट पृष्ठ सं0 143 के अनुसार)

प्रस्तावित चालू कार्यो के लिए राशि निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगी -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मजदूरी | - | रू0 | 684.936 | लाख |
| सामग्री | - | रू0 | 71.468 | लाख |
| **योग** | - | **रू0** | **756.404** | **लाख** |

6. इस योजना अंतर्गत वनरोपण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (विकास), झारखण्ड, रांची के स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जायेगा एवं मजदूरी 90.00 रू0 प्रति मानव दिवस होगी। कार्यदर की सूची अनुलंग्नक 2क एवं ख पर संलग्न है।

7. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनु0-1क,ख पर द्रष्टव्य है ।

8. वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जाने वाली योजना हेतु अनु0-1क,ख में वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी अपने-अपने प्रमण्डल के कार्यो के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

9. स्थल सूची विवरणी अनु0-3 पर द्रष्टव्य है ।

10. इस योजना के कार्यान्वयन होने से वर्ष 2008-09 में 7.61 लाख मानव दिवस का सृजन होगा ।

अतः अनुरोध है कि वर्ष 2008-09 की प्रस्तावित कार्यो से संबंधित स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें।

**अनुलंग्नक : यथोक्त**

आपका विश्वासी,

(जे0बी0 जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची-2

ज्ञापांक:- दिनांक:-

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक विकास (जनजाति क्षेत्र) तथा वन संरक्षक योजना अंचल, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

(जे0बी0 जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची-2